भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या :827
गुरुवार, 24 जुलाई, 2025/2 श्रावण, 1947 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

सुरक्षा विनियमों का अनुपालन

827. श्रीमती विजयलक्ष्मी देवीः

श्री सनातन पांडेयः

श्री कीर्ति आज़ादः

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार इस तथ्य को स्वीकार करती है कि एयर इंडिया एक्सप्रेस एयरबस ए320 विमान के इंजन के पुर्जों को समय पर बदलने में विफल रही और डीजीसीए की जांच में कथित तौर पर रिकॉर्ड में हेराफेरी का खुलासा हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यूरोपीय संघ विमानन सुरक्षा एजेंसी की चेतावनियों के बावजूद सुरक्षा अनुदेशों का पालन नहीं किया गया जिससे यात्रियों की सुरक्षा को गंभीर खतरा पैदा हो गया और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने एयर इंडिया और उसकी सहायक कंपनियों के विरुद्ध कोई दंडात्मक कार्रवाई की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) भविष्य में ऐसी लापरबाही को रोकने के लिए लागू किए गए कड़े प्रावधानों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) से (घ): नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) द्वारा मैसर्स एअर इंडिया एक्सप्रेस के निगरानी निरीक्षण के दौरान, यह पाया गया कि मैसर्स एअर इंडिया एक्सप्रेस ने एयर बस ए320 विमान में लगे इंजनों पर ईएएसए उड़नयोग्यता दिशानिर्देशों का अनुपालन नहीं किया था।

डीजीसीए ने प्रवर्तन नीति एवं प्रक्रिया नियमावली के अनुसार, मैसर्स एअर इंडिया एक्सप्रेस लिमिटेड के जिम्मेदार कार्मिकों, अर्थात् सतत अनुरक्षण प्रबंधक, गुणवत्ता प्रबंधक और जवाबदेह प्रबंधक के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई शुरू की है। गुणवत्ता प्रबंधक को दिया गया अनुमोदन रद्द कर दिया गया है, सतत अनुरक्षण प्रबंधक पर 1.5 लाख रुपए के आर्थिक दंड के साथ चेतावनी पत्र जारी किया गया है। जवाबदेह प्रबंधक पर 30 लाख रुपए का आर्थिक दंड लगाया गया है।

नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) के पास एक संरचित निगरानी और ऑडिट तंत्र है, अर्थात संगठन/ विमानों की नियोजित और अनियोजित निगरानी, जिसमें रखरखाव संगठनों सहित सभी प्रचालकों के लिए नियमित और आवधिक ऑडिट, स्थल जाँच, रात्रि निगरानी और रैंप निरीक्षण भी शामिल है। डीजीसीए प्रत्येक वर्ष अपनी वेबसाइट पर वार्षिक निगरानी योजना प्रकाशित करता है, जिसमें विनियामक ऑडिट की योजना शामिल होती है। विनियामक ऑडिट की योजना डीजीसीए की वेबसाइट पर प्रकाशित विनियामक ऑडिट प्रक्रिया नियमावली के अनुसार होती है। एयरलाइन/ प्रचालक की यह जिम्मेदारी है कि वह डिजाइन करने वाले राज्य/ विनिर्माता राज्य द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले सेवा बुलेटिन/ उड़नयोग्यता दिशानिर्देशों का अनुपालन करे, ताकि विमान को उड़ान के लिए सुरक्षित रखा जा सके तथा उसे निरंतर उड़नयोग्यता की स्थिति में रखा जा सके।

*****